

कार्यालय: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक व0स0-3/मान्यता/ 16934

/2021-22 दिनांक: 14/03/2022

प्रबन्धक,

दिल्ली पब्लिक स्कूल,

रामपुर रोड, परसाखेड़ा, बरेली।

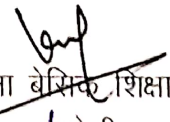
विषय:- स्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन-पत्र दिनांक 08.03.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक: व0स0-पं0/मान्यता/29598-605/2018-19 दिनांक 03.12.2018 के द्वारा कक्षा एन0 सी0 से कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.22 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त अनन्तिम मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ, दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। "प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

आप द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार विद्यालय अद्यतन संचालित होने एवं विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं होने एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति में वाद-विवाद नहीं होने की स्थिति परिलक्षित हुई है। अतः शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षों में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, साथ ही आपको मान्यता सम्बन्धी नवीन शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं समय-समय पर निर्गत होने वाले नवीन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।